

॥ वान्देशी स्तुति ॥



भक्तः कर्मण्विद्वांमो
यथा कुर्वन्ति मारत
कुर्याद्द्वांस्तथाभक्त-
शिकीरुलीकसंग्रहम् ।
न चुद्धि मेदं जनयेद-
जातां कर्मसंगिनाम्
जोषयेत्सर्वकर्मणि
विद्वान् युक्तः समाचरत् ॥

कुलगीत

हम सबके प्राणों का ज्याता, यह विद्यालय है।
जीवन का साथी धूकलाता, यह विद्यालय है।
हरिश्चन्द्र का लघु है पापन,
यह उनका है खीलि-निषेदन,
मां हिन्दी का सबल सहाता, यह विद्यालय है।
सदाचार, संघर्ष, अनुशासन,
देश-प्रेष का गति-विरन्तन,
मधीं पाँति औरों से ज्याता, यह विद्यालय है।
भासेन्द्र की ज्याति आमा है,
यह अधर है, अविनाशहर है।
मुन्दर शिव मंकल्प यंवाता, यह विद्यालय है।
हम मधका चम यही खेच हो,
प्रिय प्रवाह इसका अजेय हो,
मुखद जान गंगा की धारा, यह विद्यालय है।
यही रहे या और कहीं हम,
इसका स्नेह नहीं होगा कम,
हम इसके हैं और हमारा, यह विद्यालय है।

म्य. प्रानानाथ यात्रान्त्रिप. लालहर

(पृ. 304)

संस्था का संक्षिप्त इतिहास

यह निर्देशिका छात्रों की सुविधा हेतु प्रकाशित की गयी है। छात्रों से अनुरोध है कि वे इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर महाविद्यालय की कार्यविधि व नियमों से परिचित हो जायें। संस्था में नियमों का पालन न केवल अनुशासन एवं शैक्षणिक वातावरण के लिए आवश्यक है, अपितु आदर्श नागरिक एवं प्रभावी चरित्र निर्माण के लिए भी इसका सम्मुचित प्रतिपालन अपेक्षित है। प्रत्येक विद्यार्थी के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के अधिनियमों, परिनियमों एवं अध्यादेशों में दिए गए नियम ही मान्य होंगे।

इस महाविद्यालय के प्रवेशार्थियों को स्मरण रखना चाहिए कि इस संस्था के संस्थापक आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र जी हैं। भारतेन्दु जी ने 34 वर्ष 03 माह के अल्प जीवन काल में ही साहित्य, समाज, संस्कृति, भाषा और राष्ट्र की जो सेवा की, वह भावी पौर्णी के लिये दृष्टित है। उनका अवतरण काशी के एक सम्पन्न वैश्य कुल में 09 सितम्बर, 1850 ई. को एवं महाप्रयाण 06 जनवरी, 1885 ई. को हुआ। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी के व्यक्तित्व में युग-परिवर्तन, युग-नियमन और युग नेतृत्व की पूर्ण क्षमता विद्मान थी। उनका साहित्य तत्कालीन भारतीय जनता के लिए जितना स्फूर्तिवादी एवं प्रेरणादायक, चरित्र निर्माणक तथा राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत था, वह आज के भारत के लिए भी उतना ही अर्थवत्तापूर्ण है। आपने 'भारत दुर्दशा', 'नील देवी', 'अंधेर-नगरी', 'विषय विषमौषधम', 'प्रेमजोगिनी' प्रभृति नाटकों के माध्यम से देश, समाज और, तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का जैसा वित्र खींचा है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। नवजागरण, सामाजिक और धार्मिक परिमार्जन आदि उनकी इन कृतियों का उद्देश्य रहा है। 'निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल' तथा 'स्वत्व निज भारत गहे' (स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है) का नारा देकर भारतेन्दु जी ने राष्ट्र को जो नवीन दृष्टि प्रदान की है वह किसी से छिपा नहीं है। अपनी उपर्युक्त सामाजिक-सांस्कृतिक नवचेतना को देशकालातीत तथा सार्वकालिक बनाने के उद्देश्य से ही भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी ने सन् 1866 ई. में अपने चौखम्बा स्थित निवास स्थान पर मुहल्ले के पाँच विद्यार्थियों को लेकर एक प्राथमिक पाठशाला की स्थापना की। सर्वप्रथम इस पाठशाला का नाम 'चौखम्बा स्कूल' रखा गया। तद्योपरान्त 'चौक स्कूल' और अन्ततः गोलोकवासी संस्थापक के स्मारक के रूप में इसका नाम 'श्री हरिश्चन्द्र विद्यालय' रखा गया। यह विद्यालय द्वुत गति से प्रगतिपथ पर अग्रसर हो रहा था। अतः इसे व्यान में रखकर ही सन् 1888 ई. में यहां मिडिल कक्षाएं प्रारम्भ की गयीं। सन् 1910 ई. में हाईस्कूल की कक्षाओं का शुभारम्भ हुआ। 26 नवम्बर, 1909 ई. को तत्कालीन लैफिटनेंट गवर्नर सर जान हिवेट महोदय ने मैदागिन स्थित नये भवन का शिलान्यास किया और 26 नवम्बर, 1911 ई. को नये भवन का उद्घाटन हुआ। नगर के मध्य में इस भवन का निर्माण हो जाने से विद्यालय को स्थायित्व और विशेष सम्मान मिला। सन् 1939 ई. में स्व० बेनीप्रसाद गुप्त के प्रयत्न से इण्टरमीडिएट कक्षाओं का श्रीगणेश हुआ। भगीरथ प्रयत्न के पश्चात् भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की गरिमा के अनुकूल ही 04 अक्टूबर, सन् 1951 ई. को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हुआ तथा स्नातक की कक्षाओं का शुभारम्भ हुआ। तत्कालीन उपकुलपति डॉ० वेणीशंकर झा की कृपा से सन् 1958 ई. में विधि की कक्षाओं को मान्यता मिली।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के नियमों में परिवर्तन होने के कारण सन् 1960 ई. में यह महाविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो गया और इस विश्वविद्यालय ने सन् 1960 ई. में ही अध्यापक प्रशिक्षण विभाग (बी०ए०ड०) तथा सन् 1963 ई. में विज्ञान (गणित) की कक्षाओं को मान्यता दे दी। 1970 ई. में वाणिज्य संकाय में स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारम्भ हुईं। महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉ० बी०बी० सिंह बिसेन के प्रयास से सन् 1974 ई. में जीव विज्ञान तथा सन् 1980 ई. में एम.ए/एम.एस-सी. में सांख्यिकी की कक्षाएं प्रारम्भ हो सकी। रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के कुलपति पद को ग्रहण कर लेने पर भी महाविद्यालय के विकास के प्रति उनकी सक्रियता में किसी प्रकार की कमी नहीं आयी। डॉ० बिसेन तथा श्री ओम प्रकाश कपूर के प्रयास से सन् 1986 ई. में हिन्दू विषय में स्नातकोत्तर की कक्षाएँ प्रारम्भ हुईं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जैनपुर की स्थापना के परिणामस्वरूप सत्र 1987-88 से यह महाविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्थान पर उक्त विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो गया। सत्र 1993-94 में गणित में एम.ए./एम.एस-सी. की कक्षाओं के खुल जाने से महाविद्यालय में सांख्यिकी के साथ-साथ गणित में भी स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन होने लगा। महाविद्यालय में सत्र 2000-01 से तत्कालीन प्राचार्य डॉ० बी०ए० सिंह के प्रयास से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर कक्षाओं का अध्यापन प्रारम्भ हुआ। सत्र 2006-07 से अंग्रेजी एवं मनोविज्ञान में भी स्नातकोत्तर की कक्षाएं प्रारम्भ हुईं। महाविद्यालय के नवीन परिसर भारतेन्दु नगर बावनबीधा में सत्र 2007-08 से बी०बी०ए० पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है। मास कम्यूनिकेशन एण्ड वीडियो प्रोडक्शन पाठ्यक्रम को स्नातक (कला एवं विज्ञान संकाय) स्तर पर एक विषय के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश सरकार तथा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जैनपुर द्वारा 'व्यावसायिक शिक्षा योजना' के अन्तर्गत स्वीकृत प्राप्त हुई। छात्र-छात्राओं को इस विषय के अन्तर्गत सिनेमा, टेलीविजन कार्यक्रमों तथा विज्ञापन निर्माण के लिए फोटोग्राफी, स्क्रिप्ट राइटिंग तथा फिल्म सम्पादन का क्रियात्मक व व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। जुलाई सन् 2010 से शासन के आदेशानुसार यह महाविद्यालय 'महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, 'वाराणसी' से सम्बद्ध हो गया और अभी भी इसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है।

पूर्व प्राचार्य डॉ० सोहन लाल यादव के अथक प्रयासों से सत्र 2013-14 से महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर बी.सी.ए., शारीरिक शिक्षा, समाजशास्त्र एवं शिक्षाशास्त्र की कक्षाएँ तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में भूगोल एवं भौतिक विज्ञान में अध्यापन प्रारम्भ हो सका। इस प्रकार विज्ञान संकाय के सभी विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययन-अध्यापन होने लगा। आपके प्रयास से 02 अप्रैल 2018 से इन्द्रियांगन गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नयी दिल्ली (IGNOU) का नियमित अध्ययन केन्द्र (48048) प्रारम्भ हो गया है जिससे महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं की बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति हुई। आगामी सत्रों में एल.एल.एम., एम.एड. तथा कला संकाय के कुछ अन्य विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर कक्षाओं का संचालन महाविद्यालय की प्राथमिकता में शामिल है।

यह संस्था विगत 148 वर्षों से शिक्षा के पुनीत कार्य में संलग्न है। यहाँ के कठिपय पुराने छात्रों ने विभिन्न क्षेत्रों में समाज व देश की अविस्मरणीय सेवा की है, जिनमें भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व० लाल बहादुर शास्त्री, नेपाल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व. विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री एवं मरीषी स्व० डॉ० सम्पूर्णानन्द, बंगाल के भूतपूर्व राज्यपाल स्व० त्रिभुवन नारायण सिंह तथा ब्रिगेडियर स्व० उस्मान आदि का नाम सम्मानपूर्वक लिया जाता है। छात्रों की वर्तमान पीढ़ी की प्रेरणा हेतु महाविद्यालय में भारतेन्दु पुरातन छात्र एसोसिएसन का गठन किया गया है जिसका प्रमुख उद्देश्य वार्षिक समागमों को आयोजित कर देश-विदेश के विभिन्न भागों में कार्यरत पुरातन छात्रों एवं वर्तमान छात्रों के बीच संवाद स्थापित करना एवं महाविद्यालय के विकास एवं विस्तार में पुरातन एवं वर्तमान छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित करना है। छात्रों की वर्तमान पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेकर एवं उनका अनुसरण करते हुए देश के नवनिर्माण में उनकी ही भाँति अपना योगदान करना चाहिए।

हमारी प्राथमिकताएँ, परिकल्पनाएँ एवं हमारे स्वप्न

उच्च शिक्षा की व्यापक परिधि एवं प्रवेश में सन्तुष्टि गुणों को समायोजित करते हुए उन्हें स्थायी रूप से बनाए रखना, राष्ट्रीय, वैश्विक आवश्यकताओं एवं हितों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का समुचित प्रचार-प्रसार करना, मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा अपने राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्यों एवं विरासत को संजोए रखने में योगदान करना।

हमारा उद्देश्य, हमारी मंजिले

- क्षेत्रीय एवं वैश्विक चुनौतियों का सामना करने हेतु छात्रों में सम्बन्धित ज्ञान, प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति एवं रचनात्मक गुणों को समाहित करना तथा उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने में उन्हें योग्य एवं सशक्त बनाना।
- स्नातक, परास्नातक एवं अनुसंधान में विभिन्न स्तरों पर छात्रों को उनके हित में व्यापक अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- शिक्षा में अभिन्न अंगों के रूप में आध्यात्मिक एवं नीतिगत मूल्यों पर आधारित युवाओं के चरित्र-निर्माण के अवसरों को प्रोन्नत करना।
- समाज के विभिन्न वर्गों में समानता के आधार पर एकरूपता एवं भाई-चारे की भावना विकसित करना।
- जीवन के हर क्षेत्र में सार्थक एवं आदर्श नेतृत्व प्रदान करने का अवसर उपलब्ध कराना।

प्रवेश सम्बन्धी सूचना

- (क) सत्र 2022–23 में स्नातक (बी.ए., बी.कॉम, एवं बी.एस-सी.) तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों का प्रवेश योग्यता सूचकांक के आधार पर पूर्व निर्धारित संख्या में किया जाएगा।**
- (ख) एम.ए. प्रथम वर्ष (हिन्दी/मनोविज्ञान/राजनीतिशास्त्र/अंग्रेजी/भूगोल/सांख्यिकी/गणित), में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्रमशः स्नातक ((हिन्दी/मनोविज्ञान/राजनीतिशास्त्र/अंग्रेजी/भूगोल/सांख्यिकी/गणित) के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।**
- (ग) एम.काम. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने हेतु प्रवेशार्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।**
- (घ) एम.एस-सी. प्रथम वर्ष (रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सांख्यिकी, गणित) में प्रवेश लेने हेतु प्रवेशार्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में स्नातक स्तर पर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।**
- स्नातक स्तर पर 40% से कम अंक प्राप्त प्रवेशार्थी का प्रवेश विचारणीय नहीं है। स्ववित्तपौष्टि विषयों में इसे प्रवेश समिति शिथिल कर सकती है।
 - तीन वर्ष से अधिक अन्तराल (2019 के पूर्व स्नातक उत्तीर्ण) के प्रवेशार्थी का प्रवेश नहीं होगा।
 - विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा घोषित तिथि के पश्चात् किसी भी संकाय में कोई प्रवेश नहीं होगा।
 - यदि कोई प्रवेशार्थी विकल्प स्वरूप एक से अधिक संकायों में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र भरना चाहता है तो उसे प्रत्येक संकाय के लिए अलग-अलग प्रवेश परीक्षा आवेदन-पत्र भरना आवश्यक है। किसी भी अवस्था में एक संकाय से दूसरे संकाय में प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्रों का स्थानान्तरण नहीं होगा।
 - प्रवेश परीक्षा के पश्चात् योग्यता सूचकांक के आधार पर अर्हता प्राप्त छात्रों का प्रवेश के लिए साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार के समय छात्रों को अपने प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करने हेतु समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल एवं सत्यापित छाया प्रतियाँ लाना आवश्यक होगा। विधि एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश लेते समय प्रवजन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7. एम.ए./एम.काम./एम.एस-सी. में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सीटों की संख्या निम्नानुसार है -

(1) एम.काम.	60 सीट	(7) एम.एस-सी. रसायन विज्ञान	30 सीट
(2) एम.ए. हिन्दी	60 सीट	(8) एम.एस-सी. प्राणि विज्ञान	30 सीट
(3) एम.ए. राजनीतिशास्त्र	60 सीट	(9) एम.एस-सी. वनस्पति विज्ञान	30 सीट
(4) एम.ए. मनोविज्ञान	30 सीट	(10) एम.ए./एम.एस-सी. सांख्यिकी	20 सीट
(5) एम.ए. अंग्रेजी	60 सीट	(11) एम.ए./एम.एस-सी. गणित	60 सीट
(6) एम.ए. भूगोल	30 सीट	(12) एम.एस-सी. भौतिक विज्ञान	30 सीट

8. बी.ए./बी.कॉम/बी.एस-सी./विधि/शिक्षा में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सीटों की संख्या निम्नानुसार है-

(1) कला संकाय	700 सीट	(4) विधि संकाय	320 सीट
(2) वाणिज्य संकाय	480 सीट	(5) शिक्षा संकाय	100 सीट
(3) विज्ञान संकाय- बी.जेड.सी.	200 सीट	(6) विज्ञान संकाय पी.एम.सी./पी.एम.एस	267 सीट

आरक्षण

महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों हेतु आरक्षण सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संबर्ग में अभ्यर्थियों का प्रवेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जातियों को ही देय होगा। जाति प्रमाण-पत्र में अभ्यर्थी के जाति का उल्लेख होना आवश्यक है। जाति का उल्लेख न होने पर या अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र पर अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति का उल्लेख होने पर आरक्षित श्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा तथा अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी का माना जाएगा। आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगा। उपरोक्त सीटों पर निम्न प्रावधान के अनुसार आरक्षण लागू होगा।

(क)		(ख) (क) के अन्तर्गत (ख) आरक्षण प्रदान किया जायेगा।		
(1)	अनुसूचित जाति	21%	(1)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित
(2)	अनुसूचित जनजाति	2%	(2)	उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपांग रक्षाकर्मियों अथवा युद्ध में मारे गये रक्षा कर्मियों अथवा उ.प्र. में तैनात रक्षाकर्मियों के पुत्र-पुत्रियों को
(3)	अन्य पिछड़ा वर्ग	27%	(3)	विकलांग अभ्यर्थी
(4)	सामान्य	50%	(4)	महिला (शासनादेश सं० 1191/70-2-2010(58)79 दिनांक 11 जून 2010

इसके अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को 10% स्थान पर नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।

वरीयता सूची

(क) स्नातक स्तर पर प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर ही सूचकांक होगा।

(ख) हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संस्थागत छात्र/छात्राओं के रूप में स्नातक उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों को 10 अंकों का अधिभार दिया जायेगा।

(ग) महाविद्यालय के नियमित एवं स्ववित्तपोषित (जिनका GPF/NPS/EPF कटता है) प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री का प्रवेश विश्वविद्यालय एवं हरिश्चन्द्र महाविद्यालय के प्रवेश सम्बन्धी नियमों के अनुसार किया जाएगा।

भारांक

स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अंक भारांक के रूप में जोड़ा जाएगा। केवल निम्न प्रमाण-पत्रों पर ही भारांक प्रदान किया जाएगा।

१. एन.सी.सी. सर्टिफिकेट धारकों हेतु २. एन.एस.एस. प्रमाण-पत्र धारकों हेतु एवं ३. रोवर्स/रेजर्स प्रमाण-पत्र धारकों हेतु।

प्रवेश नियम

1. विश्वविद्यालय के किसी भी परीक्षा में अनुचित साधन के आरोपों का जब तक विश्वविद्यालय से निराकरण नहीं हो जाता सम्बन्धित छात्र-छात्रा का स्थायी/अस्थायी प्रवेश नहीं होगा।
2. किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से गत परीक्षा में अनुसीरीण अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
3. अभ्यर्थियों द्वारा जमा प्रवेश परीक्षा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
4. प्रवेश लेते समय प्रवेशार्थी को सभी वांछित प्रपत्र की मूल प्रतियाँ प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मूल प्रपत्र प्रस्तुत न करने पर संयोजक किसी भी दशा में प्रवेश नहीं देंगे।
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सम्बन्धित जिले के तहसील के तहसीलदार से प्राप्त जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति संयोजक के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। जाति प्रमाण-पत्र की छाया प्रति प्रवेशार्थी से स्वप्रमाणित कराकर जमा कर लिया जायेगा। जाति प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र में दर्शाये गये स्थायी निवास के जनपद का ही मान्य होगा। तीन वर्ष के पूर्व का प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
6. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित पैरा 4 (क) (2) में वर्णित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिचय पत्र, पेंशन प्रपत्र तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारा आश्रित होने का प्रमाण, हलफनामे द्वारा प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा तथा पेंशन पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि एवं हलफनामे की मूल प्रति प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जायेगी। ”उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण) संशोधन अधिनियम 2015” में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के रूप में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुत्री के पुत्र एवं पुत्र को भी सम्मिलित किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण) अधिनियम, 1993(यथा संशोधित) में प्रावधानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित” जैसा उक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (61) में परिभाषित है के निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी अर्थात् जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
7. सैनिक, भूतपूर्व तथा पैरा सैनिक बल के आश्रित (पैरा 4 क(3) में वर्णित अपने पिता के पेंशन-पत्र व परिचय पत्र की एक-एक प्रमाणित प्रतिलिपि अपने आवेदन-पत्र के साथ अवश्य संलग्न करेंगे।
8. विकलांग अभ्यर्थी पैरा 4(4) में वर्णित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण-पत्र प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा सत्यापित प्रतिलिपि प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करेंगे।
9. आरक्षित कोटे के अन्तर्गत प्रवेश हेतु अर्ह प्रवेशार्थियों को प्रथम दृष्ट्या अस्थायी प्रवेश दिया जायेगा। जाति प्रमाण-पत्र सम्पूर्ण जांचोपरान्त ही उनका प्रवेश नियमित किया जायेगा।
10. किसी अभ्यर्थी को प्रवेश देते समय आचरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करना अनिवार्य है।
11. प्रवेश समिति के संयोजक के हस्ताक्षर युक्त प्रवेश आवेदन-पत्र को रजिस्टर पर अंकित कर कार्यालय को शुल्क जमा करने हेतु भेजा जायेगा। शुल्क निर्धारित तिथि तक जमा करना आवश्यक होगा।
12. अनुचित साधन का प्रयोग करते पकड़े गये छात्रों का प्रवेश नहीं लिया जायेगा।
13. महाविद्यालय प्रशासन बिना कोई कारण बताए किसी भी छात्र का प्रवेश अस्वीकृत कर सकता है।

शपथ पत्र

जो छात्र संस्थागत न होने से अपनी शिक्षण-संस्था से चरित्र प्रमाण-पत्र नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं तथा उनके अध्ययन काल में अन्तराल है, उन्हें अध्ययन अन्तराल एवं चरित्र-प्रमाण-पत्र के लिए नोटरी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त हलफनामा प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा जिसमें निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख होना आवश्यक है-

1. यह कि मैंने सत्र (पिछले सत्र) में किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर अध्ययन नहीं किया है। मैं किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा निष्कासित भी नहीं किया गया हूँ।
2. यह कि मैं सत्र में के कारण किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर न पढ़ सका।
3. यह कि मैं भारतीय दण्ड विधान की किसी भी आपराधिक धारा के अन्तर्गत न तो दण्डित हूँ और न ही इस प्रकार का कोई मुकदमा मेरे विरुद्ध अदालत में विचाराधीन है। (यदि ऐसा कोई मामला विचाराधीन हो तो स्पष्टीकरण दें)

4. यह कि मैं महाविद्यालय में अपने अध्ययन काल में निष्ठापूर्वक अध्ययन करूँगा तथा महाविद्यालय के सभी नियमों का पालन करते हुए अनुशासित रहूँगा।
5. यह कि मेरा चरित्र उत्तम है।

पाठ्यक्रम

विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर एवं महाविद्यालय के ग्रन्थालय में उपलब्ध रहते हैं जिनमें पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों से सम्बन्धित समस्त विवरण विस्तृत जानकारी के लिए छात्रों को पाठ्यक्रम का अवलोकन करना चाहिए। इसके लिये छात्र/छात्रायें सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क कर सकते हैं।

स्नातक व परास्नातक में प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम सम्बन्धी नियम

स्नातक अध्ययन (बी.ए./बी.एस-सी/बी.कॉम) : स्नातक अध्ययन राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (01 जुलाई 2021 से लागू) पर आधारित त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम है। स्नातक प्रथम वर्ष में छात्र/छात्राओं का प्रवेश महाविद्यालय की प्रवेश-परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर होगा। विश्वविद्यालयीय परिनियमावली के आधार पर प्रत्येक वर्ष 02 सेमेस्टर (कुल छ: सेमेस्टर) के आधार पर निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार परीक्षाएं सम्पादित होंगी।

परास्नातक अध्ययन (एम०ए०/एम०एस-सी०/एम०कॉम०) : परास्नातक अध्ययन राष्ट्रीय नयी शिक्षा नीति-2020 (01 जुलाई 2022 से लागू) पर आधारित द्विवर्षीय पाठ्यक्रम है। इसमें प्रथम वर्ष में छात्र/छात्राओं का प्रवेश महाविद्यालयीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर होगा। विश्वविद्यालयीय परिनियमावली के आधार पर प्रत्येक वर्ष 2 सेमेस्टर (कुल चार सेमेस्टर) प्रणाली के अन्तर्गत निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार परीक्षाएं सम्पादित होंगी। परन्तु नई शिक्षा नीति-2020 (01 जुलाई 2021 से लागू) नीति के आधार पर सत्तम सेमेस्टर, अष्टम सेमेस्टर, नवम सेमेस्टर व दशम सेमेस्टर लागू होंगे।

स्नातक प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विषयगत अनिवार्य मेजर प्रश्न-पत्रों के चयन सम्बन्धी नियम

सभी संकायों के स्नातक स्तर पर विषयगत प्रश्न-पत्रों का चयन बी.ए., बी.एस-सी., बी.कॉम के प्रत्येक सेमेस्टर में तीन मेजर, एक माइनर (इलेक्टिव), एक वोकेशनल (स्किल डेवलपमेंट) तथा एक कोकुरिकुलर (अनिवार्य प्रश्न-पत्र) इस प्रकार (3+1+1+1) कुल छ: प्रश्न-पत्रों का चयन करना होगा।

कला संकाय

बी.ए. प्रथम वर्ष, प्रथम सेमेस्टर के लिये निम्न प्रकार किन्हीं तीन मेजर प्रश्न-पत्रों को विषय पुंजों के आधार पर बड़ी सावधानी पूर्वक चयन करना होगा :-

1. **भाषा संकाय** – निम्न तीनों भाषाओं में से किन्हीं दो भाषाओं को एक साथ ले सकते हैं –
 - (1) हिन्दी
 - (2) अंग्रेजी
 - (3) संस्कृत
 2. **मानविकी संकाय**
 - (1) प्राचीन इतिहास (2) मध्य कालीन इतिहास, (3) राजनीति विज्ञान (4) अर्थशास्त्र (5) भूगोल-प्रयोगात्मक (6) मनोविज्ञान – प्रयोगात्मक (7) मौस कम्यूनिकेशन – प्रयोगात्मक (8) शिक्षा शास्त्र – प्रयोगात्मक (9) समाजशास्त्र (10) शारीरिक शिक्षा – प्रयोगात्मक
- नोट – (1) अर्थशास्त्र, गणित एवं सांख्यिकी (EMS) विषय एक साथ लिये जा सकते हैं
- (2) प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास एक साथ नहीं दिया जायेगा।
 - (3) प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन विषय के साथ भूगोल विषय नहीं दिया जायेगा।
 - (4) दो प्रयोगात्मक विषय एक साथ नहीं दिये जा सकते हैं
 - (5) विद्यार्थी अपना Major (मुख्य) विषय निर्धारण (चयन) करते समय इस बात को ध्यान में रखें कि प्रवेश प्राप्त करने के बाद किसी भी स्थिति में विषय परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।

विज्ञान संकाय

बी.एस—सी. प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के लिये विषयगत मेजर प्रश्न—पत्रों के तीन गुप्त — निम्न प्रकार हैं—

- | | | | |
|-----------------|---------|-------------|------------|
| (A) BZC Group - | Botany | Zoology | Chemistry |
| (B) PMS Group - | Physics | Mathematics | Statistics |
| (C) PMC Group- | Physics | Mathematics | Chemistry |

नोट — रसायन विज्ञान व सांख्यिकी विषय के स्थान पर मॉस कम्युनिकेशन एण्ड वीडियो प्रोडक्शन विषय लिया जा सकता है।

वाणिज्य संकाय

बी.कॉम. प्रथम वर्ष, प्रथम सेमेस्टर के लिये विषयगत मेजर प्रश्न—पत्र निम्न प्रकार हैं—

- (1) Business Organisation
- (2) Business Statistics
- (3) Business Communication या Computer Application

नोट — यदि कोई विद्यार्थी बी.कॉम. प्रथम सेमेस्टर में Computer Application प्रश्न—पत्र का चयन करता है तो उसे ₹0 2000 अतिरिक्त शुल्क देना होगा। एक बार यह प्रश्न—पत्र चयन करने के बाद विषय परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।

माइनर, वोकेशनल तथा कोकेरीकुलर प्रश्न पत्र

उपरोक्त मेजर विषयों के अतिरिक्त सभी संकायों के स्नातक स्तर पर प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सेमेस्टर में एक प्रश्न—पत्र माइनर (इलेकेटिव) का चयन करना होगा जो बी.ए., बी.एस—सी०, व बी.कॉम. के मेजर विषय (प्रश्न—पत्रों) से भिन्न हो।

(A) प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के माइनर विषय गत प्रश्न—पत्र निम्न प्रकार है जिसमें से किसी एक का चयन करना होगा —

1. Faculty of Art -
 - (i) Department of Physical Education - Physical Education
 - (ii) Department of Economics - Basic of Economics
2. Faculty of Commerce - Business Communication
3. Faculty of Science - Introduction to Data Analysis

(B) वोकेशनल (Vocational)/स्किल डेवलपमेण्ट(Skill Development) के अन्तर्गत प्रश्न—पत्र निम्न प्रकार हैं जिसमें से कोई एक चयन करना होगा —

- (1) Advertising; (or)
- (2) Marketing and Sales Management
- (C) Co-Curricular (को केरिकुलर) के अन्तर्गत सभी संकायों के छात्र-छात्राओं के लिये अनिवार्य प्रश्न—पत्र — Food, Nutrition and Hygiene

नोट : (1) परास्नातक प्रथम वर्ष, प्रथम सेमेस्टर, (राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 जो 01 जुलाई 2022 से लागू) के अन्तर्गत सप्तम (VII) सेमेस्टर से सम्बंधित विश्वविद्यालय से प्रवेश व विषय चयन हेतु परिनियमावली अभी उपलब्ध नहीं है।

(2) बी.बी.ए./बी.सी.ए. (स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम) से सम्बंधित प्रवेश व परीक्षा की सभी सूचनायें महाविद्यालय के बावन—बीघा परिसर कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं।

बी.बी.ए./बी.सी.ए. (छ: सत्रीय त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम)

महाविद्यालय के बावनबीघा परिसर में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम योजना के अन्तर्गत बी.बी.ए. एवं बी.सी.ए. पाठ्यक्रम संचालित होता है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रति छ: माह के अन्तराल पर सत्रीय परीक्षा आयोजित की जाती है। प्रत्येक प्रश्न-पत्र में 70 अंक की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा एवं 30 अंक की परीक्षा महाविद्यालय द्वारा ली जाती है।

बी.बी.ए./बी.सी.ए. (स्ववित्तपोषित) पाठ्यक्रम का प्रति सेमेस्टर अध्ययन शुल्क एवं धरोहर राशि की जानकारी बावनबीघा कैम्पस से प्राप्त की जा सकती है।

बी.ए./बी.एस-सी./बी.कॉम में प्रवेश हेतु आवेदक अपने आवेदन पत्र में इच्छानुसार द्वितीय वरीयता के रूप में बी.बी.ए. का विकल्प भर सकते हैं। मूल पाठ्यक्रम में प्रवेश न होने पर उन्हें बी.बी.ए. में प्रवेश हेतु विचारित किया जायेगा।

अनिवार्य विषय :

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार कला संकाय, वाणिज्य संकाय एवं विज्ञान संकाय के प्रत्येक छात्र के लिए पर्यावरण एवं राष्ट्रगौरव विषय अनिवार्य है, जिसकी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया जा सकता है।

स्नातकोत्तर अध्ययन : एम.ए. (सेमेस्टर पद्धति)

(1) हिन्दी, (2) अंग्रेजी, (3) राजनीति विज्ञान, (4) मनोविज्ञान, (5) सांख्यिकी (6) गणित (7) भूगोल

इसमें से अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान एवं भूगोल विषय स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत हैं।

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार उपरोक्त विषयों की परीक्षा सेमेस्टर द्वारा होती है। सभी विषयों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु वही छात्र सामान्यतः अर्ह हैं जिन्होंने बी.ए. त्रिवर्षीय परीक्षा उस विषय के साथ उत्तीर्ण की हो।

स्नातकोत्तर अध्ययन : एम.कॉम. (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)

एम.कॉम. के प्रवेशार्थियों के लिए बी.कॉम. परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। एम.कॉम. की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सेमेस्टर द्वारा होगी।

स्थान रहने पर प्राचार्य की विशेष अनुमति से भूतपूर्व छात्रों को केवल सैद्धान्तिक व्याख्यान की सुविधा प्रदान की जा सकती है, जिसके लिए उन्हें **रु० 250.00** प्रतिवर्ष शुल्क देना होगा। भूतपूर्व छात्रों को प्रत्येक प्रायोगिक परीक्षा हेतु **रु० 50.00** कार्यालय में जमा करके उसकी रसीद सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा, तभी वे प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

स्नातकोत्तर अध्ययन : एम.एस-सी. (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम)

विषय - (1) गणित (2) सांख्यिकी (3) रसायन विज्ञान (4) वनस्पति विज्ञान (5) प्राणि विज्ञान (6) भौतिक विज्ञान

इसमें से रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान विषय स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत हैं।

इन विषयों की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सेमेस्टर द्वारा होती है।

उपरोक्त सभी विषयों के प्रथम वर्ष में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर प्रवेश हेतु वही छात्र अर्ह होंगे जिन्होंने स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम परीक्षा उस विषय के साथ उत्तीर्ण की हो।

शिक्षा संकाय (बी.एड.)

बी.एड. कक्षा में प्रवेश रा.अ.शि.प. के नियमों एवं राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर होता है। किसी संस्थान के पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक सेवारत अभ्यर्थी अधिकारी की पूर्व अनुमति एवं सत्रान्त तक के अवकाश प्रमाण-पत्र के अभाव में बी.एड. में प्रवेश प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। बी.एड. विषय के प्रश्न-पत्र इत्यादि की जानकारी के लिए सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/विभाग से सम्पर्क स्थापित करें।

विधि संकाय

विधि संकाय स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश निम्नलिखित नियमानुसार होगा :

1. विधि प्रथम वर्ष में योग्यताप्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् प्रवेश महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के नियमानुसार प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर श्रेष्ठता सूची के अनुसार होगा। बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के निर्देशानुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम त्रिवर्षीय स्नातक उपाधि होनी चाहिए।
2. बॉर कौंसिल ऑफ इण्डिया के निर्देशानुसार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर 45 प्रतिशत अंक तक, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर 42 प्रतिशत अंक तक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों को 40 प्रतिशत अंक प्राप्त रहने पर ही प्रवेश देय होगा। विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय तक बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के दिशा-निर्देश ही मान्य होंगे।
3. विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये उम्र की सीमा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी।
4. किसी भी प्रकार का भारांक (एन.सी.सी. एन.एस.एस., रोवर्स रेंजर्स) विधि (एल.एल.बी) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु बार कौंसिल द्वारा अनुमत्य नहीं है।
5. इस संकाय में एल.एल.बी. के तीन वर्षों के पाठ्यक्रम के अध्ययन की व्यवस्था है। विधि त्रिवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रमों की छ: सेमेस्टर परीक्षाएँ होंगी। चूँकि एल.एल.बी. शिक्षा पूर्णकालिक पाठ्यक्रम है, अतः विश्वविद्यालय नियमानुसार किसी भी छात्र को किसी भी अवस्था में अन्य स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि अथवा डिप्लोमा के साथ विधि के अध्ययन की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

विस्तृत विवरण, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत प्रकाशक देखें जो पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। इसके लिये विभाग से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

तकनीकी शिक्षा संकाय

महाविद्यालय के बावनबीघा परिसर में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त एवं गौतम बुद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ से सम्बद्ध एम.बी.ए. एवं बी.फार्मा के पाठ्यक्रम संचालित होते हैं। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। इन दोनों ही पाठ्यक्रम में क्रमशः नौ-नौ शीट प्रबन्धकीय कोटा के सीटों पर देय शुल्क समान है।

उक्त दोनों ही पाठ्यक्रमों में उत्तर प्रदेश शासन के नियमानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के प्रवेश के समय अध्ययन शुल्क जमा किए बिना प्रवेश की व्यवस्था है। ऐसे छात्रों की अध्ययन शुल्क की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है।

पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से निर्बल छात्रों को शासन से नियमानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

शोध- निर्देशन

शोध कार्य हेतु इच्छुक छात्र/छात्रायें सम्बन्धित विषय के विभागाध्यक्ष से सम्पर्क करें। शोध कार्य में पंजीकरण करने हेतु अभ्यर्थी को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत महाविद्यालय में शोध पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जायेगी।

पुस्तकालय

महाविद्यालय में प्रवेश पाने के उपरान्त छात्र महाविद्यालय के पुस्तकालय की सदस्यता भी प्राप्त कर लेता है। प्रवेश प्राप्ति (जुलाई की फीस) की रसीद दिखाने पर पुस्तकालयाध्यक्ष उसे पुस्तकालय कार्ड देंगे, जिस पर विद्यार्थियों को पुस्तकों निर्गत की जायेंगी और उनके द्वारा पुस्तकालय से ली गई पुस्तकों की प्रविष्टियाँ भी होंगी। 15 दिन के भीतर पुस्तक न लौटाने पर छात्र को 50 ऐसे प्रतिदिन की दर से पुस्तकालयीय अर्थदण्ड देना होगा।

प्रत्येक विद्यार्थी को उपलब्धता के आधार पर स्नातक स्तर पर रु० 400=०० मूल्य तक की एवं स्नातकोत्तर स्तर पर रु० 500=०० मूल्य तक की अधिक से अधिक दो पुस्तकों प्रदान की जा सकती हैं। सन्दर्भ (रेफरेन्स) पुस्तकों किसी भी विद्यार्थी को निर्गत नहीं होंगी। ऐसी पुस्तकों छात्र/छात्राएँ पुस्तकालय में ही बैठकर पढ़ सकते हैं पुस्तकों को क्षति पहुँचाने वाले को दण्डित किया जायेगा।

बुक-बैंक

निर्धन छात्रों के सहायतार्थ महाविद्यालय पुस्तकालय में बुक-बैंक की भी स्थापना की गयी है। बुक-बैंक से परीक्षा तक के लिए पाठ्य-पुस्तकों देने की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार व्यवस्था है। इसके लिये छात्रों को अलग से आवेदन करना होगा।

शुल्क—भुगतान

शिक्षा विभाग के आदेशानुसार एक वर्ष का सम्पूर्ण शुल्क का भुगतान दो किस्तों में करना होगा।

(1) जुलाई से जून तक बारह महीने के लिए देय शिक्षण शुल्क का विवरण -

(अ) एम.कॉम./एम.ए./एम.एस-सी	रु० 15.00 प्रतिमाह
(सांख्यिकी एवं गणित) एम.ए. (हिन्दी)	
(ब) बी.ए., बी.एस-सी., बी.कॉम,	रु० 11.00 प्रतिमाह
(स) बी.एड.	रु० 18.00 प्रतिमाह
(द) एल.एल.बी.	रु० 15.00 प्रतिमाह

नोट- राजकीय तथा विश्वविद्यालयीय निर्देश प्राप्त होने पर किसी भी समय शिक्षण-शुल्कों की दरों में परिवर्तन किया जा सकता है।

(2) सत्रारम्भ में नये प्रवेशार्थियों को निम्नलिखित शुल्क देय होंगे-

1. प्रवेश शुल्क	रु 5.00 प्रतिवर्ष
2. पंजीकरण शुल्क	रु० 2.00 प्रतिवर्ष
3. महँगाई शुल्क	रु० 4.50 प्रतिमाह
4. पंखा शुल्क	रु० 6.00 प्रतिवर्ष
5. जेनरेटर शुल्क	रु० 75.00 प्रतिवर्ष
6. पुस्तकालय	
(क) बी.ए. बी.एस-सी., बी.कॉम.	रु. 36.00 प्रतिवर्ष
(ख) एम.कॉम., एम.ए./एम.एस-सी.	रु. 36.00 प्रति वर्ष
(सांख्यिकी, गणित) एम.ए. (हिन्दी)	
एल.एल.बी., बी.एड.	
7. वाचनालय शुल्क (स्नातक)	रु० 36.00 प्रतिवर्ष
8. वाचनालय शुल्क (स्नातकोत्तर)	रु० 36.00 प्रतिवर्ष
9. विद्यार्थी सहायक सम्बा	रु० 12.00 प्रतिवर्ष
10. परिचय-पत्र शुल्क	रु० 30.00 प्रतिवर्ष
11. नामांकन शुल्क	रु० 100.00 प्रतिवर्ष
12. परीक्षा शुल्क (स्नातक)	रु० 900.00 प्रति वर्ष
13. परीक्षा शुल्क (स्नातकोत्तर) एल.एल.बी.	रु० 1000.00 प्रति सेमेस्टर
14. परीक्षा शुल्क बी.एड.	रु० 1500.00 प्रति सेमेस्टर
15. पत्रिका	रु० 30.00 प्रति वर्ष
16. रोवर्स/रेन्जर्स शुल्क	रु० 30.00 प्रतिवर्ष
17. क्रीडा शुल्क	रु० 120.00 प्रति वर्ष
18. विकास शुल्क	रु० 120.00 प्रति वर्ष
19. समारोह	रु० 15.00 प्रति वर्ष
20. छात्रसंघ	रु० 100.00 प्रति वर्ष
21. प्रायोगिक विषय (प्रति विषय)	रु० 25.00 प्रति वर्ष
22. पी.टी. (केवल बी.एड.)	रु० 15.00 प्रति वर्ष
23. पाठ्य योजना पुस्तिकाएँ (केवल बी.एड. छात्रों के लिए)	रु० 500.00 प्रतिवर्ष
24. स्काउट गाइड (केवल बी.एड.)	रु० 550.00 प्रति वर्ष
25. डायरी (केवल बी.एड.)	रु० 700.00 प्रति वर्ष
26. योगा (केवल बी.एड.)	रु० 500.00 प्रति वर्ष
27. अतिरिक्त शैक्षणिक कार्यक्रम शुल्क	रु० 35.00 प्रति वर्ष

28. कॉशन मनी (संचित निधि)

(क) पुस्तकालय

स्नातक कक्षाओं हेतु बी.ए./बी.कॉम	रु० 300.00 प्रति वर्ष
बी.ए (प्रायोगिक विषय)	रु० 350.00 प्रति वर्ष
बी.एस-सी. (पी.एम.सी./पी.एम.एस.)	रु० 400.00 प्रति वर्ष
बी.एस-सी. (बी.जेड.सी.)	रु० 450.00 प्रति वर्ष
पुस्तकालय (परास्नातक कक्षाओं हेतु)	रु० 400.00 प्रति वर्ष
पुस्तकालय बी.एड.	रु० 400.00 प्रति वर्ष
पुस्तकालय विषय	रु० 300.00 प्रति वर्ष

(ख) प्रति प्रयोगात्मक विषय

विज्ञान एवम् कला संकाय के प्रयोगात्मक विषयों	रु० 25.00 प्रति वर्ष
के छात्रों से प्रति विषय प्रयोगशाला शुल्क	रु० 240.00 प्रति वर्ष
मौखिक परीक्षा वाले विषयों की स्नातक एवं स्नातकोत्तर	
कक्षाओं में मौखिक परीक्षा शुल्क	रु० 50.00 प्रति वर्ष
पाठ्यक्रमानुसार जिन विषयों (भूगोल, वनस्पति विज्ञान,	रु० 50.00 प्रति वर्ष
जन्तु विज्ञान) में पर्यटन की व्यवस्था है, उनमें स्नातक	
स्तर पर प्रति छात्र	
तथा स्नातकोत्तर स्तर पर	रु० 100.00 पर्यटन शुल्क जमा करना
उपाधि शुल्क अंतिम वर्ष के छात्रों हेतु	अनिवार्य है
	रु० 200.00

विभिन्न संकायों में शोध के लिए पंजीकृत होने वाले छात्र/छात्राओं को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के निर्देशानुसार शुल्क देय होगा।

नये प्रवेशार्थियों द्वारा देय शुल्क की दरें -

नये प्रवेशार्थियों को दो किस्तों में शुल्क देय होगा।

प्रवेश के समय देय शुल्क निम्न प्रकार है : (जुलाई 2022 से दिसम्बर 2022)

प्रथम किस्त

बी.ए. भाग-1	रु० 2130.00
बी.ए. भाग-1 (प्रायोगिक विषय के साथ)	रु० 2445.00
बी.ए. (प्रायोगिक एवं परिमण शुल्क के साथ)	रु० 2465.00
बी.कॉम. भाग-1	रु० 2130.00
बी.एस-सी. भाग-1 (बी.जेड.सी. ग्रुप)	रु० 3095.00
बी.एस-सी. भाग-1 (पी.एम.सी./पी.एम.एस. ग्रुप)	रु० 2760.00
मास कम्पूनिकेशन एण्ड वीडियो प्रोडक्शन	रु० 5000.00
समाजशास्त्र (विषय स्ववित्तपोषित)	रु० 3500.00
शिक्षाशास्त्र (विषय स्ववित्तपोषित)	रु० 4000.00
एम.ए. भाग-1 (हिन्दी)	रु० 3259.00
एम.ए. भाग-1 (राजनीति विज्ञान एवं अंग्रेजी) (स्ववित्तपोषित) वार्षिक	रु० 11500.00
एम.ए. भाग-1 (मनोविज्ञान एवं भूगोल (स्ववित्तपोषित) वार्षिक	रु० 14500.00
एम.कॉम. भाग-1	रु० 3259.00
एम.एस-सी. भाग-1 (सांख्यिकी)	रु० 3499.00
एम.एस-सी. भाग-1 (गणित)	रु० 3259.00
एम.एस-सी. भाग-1 (रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान	रु० 17500.00
औतिक विज्ञान (स्ववित्तपोषित) वार्षिक	
एल.एल.बी. (विधि) भाग-1 वार्षिक	रु० 3576.00
बी.एड. वार्षिक	रु० 4992.00

द्वितीय किस्त (जनवरी 2022 से जून 2022)

स्नातक	रु 93.00
स्नातकोत्तर	रु 117.00

नोट -

- विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार उसके द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क अलग से देय होगा।
- किसी भी पाठ्यक्रम के शिक्षण के लिए निर्धारित शुल्क जमा हो जाने के बाद, छात्र के कक्षा में उपस्थित न होने पर वापस नहीं किया जायेगा।
- महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के निर्देशानुसार स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को NEP-2020 शुल्क रु 120.00 क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में देना होगा।

रसीद की प्रतिलिपि एवं शुल्क वापसी

रसीद की मूल प्रति ग्राहक हो जाने पर उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करने वाले छात्र को रु 10.00 अलग से भुगतान करना आवश्यक होगा।

एक बार प्रवेश लेने के पश्चात् यदि छात्र सत्रान्त से पूर्व महाविद्यालय छोड़ता है तो उसे केवल प्रतिभूति धन ही वापस किया जायेगा। पुस्तकालय एवम् प्रयोगशाला से सम्बन्धित प्रतिभूति धन प्राप्त करने के लिए छात्र को रु 20.00 विद्यालय छोड़ने के कारण (लिविंग चार्ज) जमा करना होगा। महाविद्यालय में स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र लेने के लिए छात्र को रु 10.00 शुल्क के रूप में जमा करना होगा।

परीक्षा आवेदन पत्र

प्रत्येक छात्र/छात्रा द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि के भीतर परीक्षा आवेदन-पत्र शुद्ध एवं पूर्णरूप से केवल एक भाषा में (हिन्दी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं का भिश्रण नहीं) भरकर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। इस कार्य में विद्यार्थियों को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। परीक्षा आवेदन पत्र के जाँच पत्र ;उत्तमपिंबंजपवद अवतुद्ध में विषयों/प्रश्न-पत्रों का नाम शुद्ध रूप से भरने या लिये गये विषयों एवं प्रश्न-पत्रों को परीक्षा आवेदन-पत्र, कम्प्यूटर प्रोफार्म एवं जाँच पत्र में न लिखने पर उन विषयों के प्रश्न-पत्रों में परीक्षा न दे सकने का उत्तरदायित्व विद्यार्थी पर ही होगा। परीक्षा आवेदन-पत्र में विषयों/प्रश्न पत्रों का नाम शुद्ध रूप से भरने हेतु सम्बन्धित विभाग अथवा परीक्षा विभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

जो विद्यार्थी अपना परीक्षा आवेदन-पत्र सम्यक् रूप से भरकर योग्यता प्रदायी परीक्षा के अंक पत्र के साथ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक जमा कर देंगे, केवल उन्हीं का परीक्षा आवेदन-पत्र विश्वविद्यालय के लिए अग्रसरित किया जायेगा। अपूर्ण, अस्थाई प्रवेश प्राप्त (Provisional Admisson) एवं निर्धारित तिथि के पश्चात परीक्षा आवेदन-पत्र जमा करने वाले अध्यर्थियों को परीक्षा आवेदन-पत्र किसी भी अवस्था में अग्रसरित नहीं किया जायेगा।

परीक्षा आवेदन-पत्र एवं उस पर चस्पा किये गये फोटो का सत्यापन महाविद्यालय में ही अग्रसारण अधिकारी द्वारा किया जाता है। अतः प्रत्येक व्यक्तिगत विद्यार्थी को यह विशेष ध्यान रखना है कि वे अपने आवेदन-पत्रों को अन्य किसी अधिकारी से कदापि अग्रसरित न करवाएँ।

नामांकन

महाविद्यालय में पहली बार प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को विश्वविद्यालय में नामांकित होने के लिए प्रवेश शुल्क जमा करते समय नामांकन आवेदन-पत्र भरना आवश्यक है। नामांकन आवेदन पत्र के साथ विद्यार्थियों को अपनी पूर्व शिक्षण-संस्था से ग्रात स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र/प्रवजन प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

प्रतिभूति धन की वापसी

परीक्षाफल घोषित होने के तीन महीने बाद आवेदन करने पर छात्र को प्रतिभूति धन लौटा दिया जायेगा। तीन वर्ष की अवधि के भीतर आवेदन करने पर यह धन कालातीत होकर महाविद्यालय कोष में जमा हो जायेगा।

अनुशासनिक नियम एवं निर्देश

आप एक विद्यार्थी के रूप में महाविद्यालय के सदस्य हैं और आशा की जाती है कि आप अपने क्रिया-कलापों एवम् आचरण के प्रति सचेष्ट रहकर महाविद्यालय के गौरव की अभिवृद्धि करेंगे। एतद् निमित्त प्रत्येक विद्यार्थी को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना आवश्यक है-

- प्रत्येक विद्यार्थी को एक परिचय पत्र प्राप्त होगा जिसे सदैव अपने पास रखना आवश्यक है और महाविद्यालय के प्राप्त्यपाकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा माँगने पर तत्काल दिखाना अनिवार्य है।

2. परिचय-पत्र का नवीनीकरण प्रतिवर्ष होगा।
3. परिचय-पत्र गायब हो जाने या किसी दूसरे का परिचय-पत्र पा जाने की सूचना छात्र को महाविद्यालय के प्राचार्य को अवश्य देनी चाहिए।
4. जिस छात्र का मूल परिचय पत्र गायब हो जायेगा उसे महाविद्यालय कार्यालय में रु 20.00 शुल्क जमा करके प्रतिलिपि परिचय-पत्र प्राप्त करना होगा। यदि छात्र पुस्तकालय कार्ड भी प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए भी अलग से रु 20.00 जमा करना होगा। इसके लिये उसे आवश्यक सूचनाओं के साथ कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र भी देना होगा।
5. किसी छात्र द्वारा अन्य के परिचय-पत्र का प्रयोग अक्षम्य अपराध माना जायेगा।

विशेष ध्यातव्य नियम

यह विशेष ध्यातव्य है कि आप जब तक महाविद्यालय में रहें, यहाँ के नियमों एवं अनुशासन का पूर्ण पालन करें।

निम्नलिखित कार्य-कलाप पूर्णतः वर्जित है :-

1. महाविद्यालय के किसी क्षेत्र में निरुद्देश्य इधर-उधर घूमना, बरामदों में भीड़ लगाना अथवा सभाकक्ष में यत्र-तत्र दो चार के समूह में बैठकर अमर्यादित ढंग से बातें करना।
2. महाविद्यालय के किसी कक्षा या बरामदे या प्रांगण में धूप्रपान करना।
3. महाविद्यालय भवन की दीवरों या और कहीं पर पोस्टर विपकाना या लिखना। अन्य किसी तरह की स्थायी विकृति जैसे नियत स्थान के अतिरिक्त और कहीं पान खाकर थूकना या कागज आदि फेंकना।
4. महाविद्यालय के मुख्य द्वार से साइकिल पर चढ़कर महाविद्यालय में प्रवेश करना तथा बाहर निकलना।
5. किसी प्राद्यापक, अधिकारी या कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करना तथा उसके पूछने पर अपना परिचय जैसे नाम, पता आदि न बताना।
6. महाविद्यालय प्रांगण में ध्वनि विस्तारक यन्त्र का लाना और उसका प्रयोग करना।
7. महाविद्यालय सम्पत्ति को किसी भी रूप में क्षति पहुँचाना।
8. महाविद्यालय में बिना मास्क के प्रवेश करना एवं शारीरिक दूरी का ध्यान न रखना।

उपर्युक्त नियमों की अवहेलना करने वालों के विस्तृत अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी और दुराचरण के अनुसार ही दण्ड दिया जायेगा।

नियंता मंडल

महाविद्यालय में अनुशासन बनाने के लिए नियंता मंडल है, जिसके मुख्य नियंता डॉ० अशोक कुमार सिंह, एसो. प्रोफेसर वाणिज्य हैं। नियंता मण्डल विद्यार्थियों के क्रिया-कलापों एवं उनके आचरण पर ध्यान रखता है। प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य है कि नियंता मंडल के निर्देशों का पालन करें। विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि प्रवेश लेने के तुरन्त बाद परिचय-पत्र अपने पास संदर्भ रखें।

सूचना प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत माँगी गयी सूचना के त्वरित निस्तारण हेतु सूचना प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जनसूचना अधिकारी डॉ० सुबोध कुमार सिंह, एसोसिएट फोफेसर, विधि विभाग है।

साइकिल स्टैण्ड

विद्यार्थियों की सुविधा के लिए महाविद्यालय परिसर में साइकिल स्टैण्ड की व्यवस्था की गयी है। यह आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपना वाहन साइकिल स्टैण्ड में ही जमा करने के पश्चात् टोकन अवश्य प्राप्त कर लें।

उपस्थिति

विश्वविद्यालय नियमानुसार प्रत्येक विद्यार्थी की प्रत्येक कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। इससे कम उपस्थिति वाले छात्रों को परीक्षा से वंचित होना पड़ सकता है। विद्यार्थी को समय-समय पर अपनी उपस्थिति के विषय में अवगत होते रहने के लिए निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

(क) विद्यार्थियों को उनकी उपस्थिति की न्यूनता सम्बन्धी सूचना के लिए समय-समय पर सूचना-पट्ट पर सूचनाएँ लगायी जाती हैं। अभिभावकों से आशा की जाती है कि वे अपने पाल्यों का पूरा ध्यान रखेंगे।

(ख) प्राध्यापक अपनी कक्षा- पंजिकाओं में भी उपस्थिति का ब्यौरा रखते हैं। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सम्बन्धित प्राध्यापकों से समय-समय पर अपनी उपस्थिति की जानकारी के लिए सम्पर्क करते रहेंगे।

ज्योतिष्मती (पत्रिका)

छात्रों को रचनात्मक लेखन का अभ्यास कराने तथा उनकी विविध अभिस्कृतियों के परिचार एवं परिपक्वता हेतु महाविद्यालय पत्रिका 'ज्योतिष्मती' का प्रकाशन प्रतिवर्ष होता है। इसके माध्यम से महाविद्यालय के विद्यार्थियों को अपनी सुखचिपूर्ण रचनाओं को प्रकाशित कराने का सुअवसर प्राप्त होता है। रचनाओं का माध्यम हिन्दी, अंग्रेजी अथवा संस्कृत होना चाहिए और रचनाएँ मौलिक तथा स्तरीय होनी चाहिए। छात्रों से आशा की जाती है कि वे पत्रिका की मुख्य सम्पादिका डॉ० ऋषि सिंह (हिन्दी विभाग) के निर्देशन में इस सुविधा का सुधुपयोग करेंगे।

परिसर-साक्षात्कार

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित "कैरियर एवं काउन्सिलिंग सेल" महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के कैरियर निर्णय हेतु आवश्यक सुझाव एवं निर्देशन प्रदान करता है। विभिन्न ख्यातिलब्ध संस्थाओं से रिसोर्स पर्सन्स को आमंत्रित कर महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को उनसे परिसंवाद का अवसर उपलब्ध कराया जाता है। विभिन्न कम्पनियों/संस्थाओं द्वारा परिसर साक्षात्कार की भाँग पर छात्र/छात्राओं का साक्षात्कार सम्पन्न कराया जाता है।

रियायती रेलवे यात्रा

रेलवे के नये नियम के अनुसार रियायती रेलवे यात्रा के लिए केवल ग्रीष्मावकाश, दुर्गापूजा तथा शीतावकाश में छात्रों को घर जाने के निमित्त ही रेलवे कन्सेशन दिये जायेंगे। प्रवेश आवेदन-पत्र में उल्लिखित स्थायी पते पर ही रेलवे कन्सेशन दिये जायेंगे। स्थायी पते में परिवर्तन होने पर प्राचार्य को सप्रमाण तुरन्त सूचित करें अन्यथा परिवर्तित पते पर रेलवे कन्सेशन की सुविधा प्राप्त नहीं हो सकेगी।

राष्ट्रीय छात्र सैनिक (एन.सी.सी.)

महाविद्यालय में एन.सी.सी. के प्रशिक्षण की सुविधा है। वर्ष में कई कैम्प एवं शूटिंग प्रतियोगिताएँ होती हैं। भारतीय सेना, पुलिस, बी.एस.एफ. एवं आर.पी.एफ. आदि में भर्ती होने का मार्ग इसके द्वारा प्रशस्त होता है। 'बी' एवं 'सी' सर्टिफिकेट की परीक्षाएँ प्रतिवर्ष होती हैं। महाविद्यालय में एक कम्पनी है। इच्छुक छात्रों को मेजर श्री आलोक कुमार सिंह (वनस्पति विज्ञान विभाग) से एन.सी.सी. कार्यालय में सम्पर्क करना चाहिए।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की चार इकाइयाँ हैं, जिसके द्वारा समाज-सेवा के प्रशिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। इसमें सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं को अन्य कक्षाओं में प्रवेश लेते समय भारांक देय होता है। इस योजना में प्रवेश के लिए इच्छुक विद्यार्थी को राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय से सम्पर्क करना चाहिए।

रोवर्स/रेंजर्स प्रशिक्षण

महाविद्यालय में रोवर्स/रेंजर्स की व्यवस्था है, जिसके द्वारा समाज सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। स्नातक छात्रों के लिए रोवर्स रेंजर्स प्रशिक्षण शिविर एवं स्नातक छात्राओं के लिए रेन्जर्स प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU)

महाविद्यालय में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली (IGNOU) का नियमित अध्ययन केन्द्र 02 अप्रैल, 2018 से प्रारम्भ हो गया है। जिसमें बी.ए. बी.कॉम., एम.कॉम व एम.ए. (समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र) तथा विधि (LAW) के 10 पी.जी. डिप्लोमा व सर्टिफिकेट के कोर्स संचालित हैं। विस्तृत जानकारी के लिये इस केन्द्र के समन्वयक डॉ० अनिल कुमार (एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, रसायन विज्ञान विभाग, मोबाइल नं० 9415979336) से सम्पर्क करें।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की इकाई कार्यरत है। इस विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के अध्ययन की व्यवस्था है। उपरोक्त के अतिरिक्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा के कई पाठ्यक्रम तथा व्यावसायिक विषयों के कई पाठ्यक्रम के अध्ययन/अध्यापन की सुविधा उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए इस केन्द्र के समन्वयक डॉ० प्रभाकर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर-सांख्यिकी विभाग एवं डॉ० संजय श्रीवास्तव- एसोसिएट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान विभाग से सम्पर्क करें।

भारतेन्दु परिसर, बावनबीघा का विकास

पाण्डेयपुर से चार किमी० आजमगढ़ मार्ग पर उपन्यास समाट मुंशी प्रेमचन्द्र की जन्मस्थली के समीप महाविद्यालय का नया परिसर भारतेन्दु नगर, बावनबीघा जिसका क्षेत्रफल ७७ एकड़ है, उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। भारतेन्दु पुण्यशती वर्ष के अवसर पर भारतेन्दु बाबू की पुण्य सृष्टि में इस भूखण्ड पर भारतेन्दु परिसर का शिलान्यास प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व० वीर बहादुर सिंह ने सन् 1986 में किया था।

इस नूतन परिसर में समस्त संसाधनों से परिपूर्ण खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा हेतु एक विशाल क्रीडास्थल भी उपलब्ध है जिसमें महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की प्रतियोगिताओं के साथ-साथ समस्त खेलकूद कार्यक्रम समय-समय पर सम्पन्न होते रहते हैं।

खेल-कूद परिषद

महाविद्यालय में खेल-कूद परिषद द्वारा छात्र/छात्राओं को खेल-कूद की सुविधा प्रदान की जाती है। इस महाविद्यालय के लिये यह गौरव की बात है कि यहाँ के छात्र/छात्रायें महाविद्यालयीय, विश्वविद्यालयीय, प्रान्तीय तथा राष्ट्रीय खेलों में भाग लेकर महाविद्यालय की कीर्ति में श्रीनृद्धि करते रहे हैं।

महाविद्यालय खेल-कूद नीति निर्धारण महाविद्यालय खेल-कूद परिषद् द्वारा होता है। महाविद्यालय के प्राचार्य इसका पदेन अध्यक्ष होता है। विभिन्न खेल-कूदों के लिए अलग-अलग क्रीडाध्यक्ष (Chairman) हैं। खेलों में भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थियों को विभिन्न खेल-कूद के अधिकृत क्रीडाध्यक्षों से सम्पर्क करना चाहिए।

खेल-कूद परिषद के सचिव के संचालन में खेल-कूद का प्रशिक्षण एवं अभ्यास महाविद्यालय के नूतन परिसर बावनबीघा में प्रतिदिन अपराह्न 02:00 बजे से 05:00 बजे तक चलता रहता है एवं महाविद्यालय के मैदानिन परिसर में अन्तः कक्ष (इन्डोर गेम) की व्यवस्था है।

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. डॉ० रजनीश कुँवर | अध्यक्ष, खेलकूद परिषद् |
| 2. डॉ० पंकज कुमार सिंह | अध्यक्ष, कला संकाय |
| 3. डॉ० अतुल कुमार तिवारी | अध्यक्ष, वाणिज्य संकाय |
| 4. डॉ० देवाशीष सिंह | अध्यक्ष, विज्ञान संकाय |
| 5. डॉ० अनीता सिंह | अध्यक्ष, बी०ए० विभाग |
| 6. डॉ० सुबोध कुमार सिंह | अध्यक्ष, विधि विभाग |
| 7. डॉ० अशोक कुमार सिंह | मुख्य नियन्ता |
| 8. डॉ० संजय कुमार सिंह | सचिव, खेलकूद परिषद |

उक्त सूची के अतिरिक्त अन्य सभी खेल प्रभारी

सूचना-प्रसारण

महाविद्यालय की शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेल-कूद, प्रवेश तथा परीक्षा विषयक और अन्य समस्त आवश्यक गतिविधियों से सम्बन्धित सूचनाओं को सूचना पट्ट एवं महाविद्यालय की वेबसाइट www.hcpgcollege.edu.in पर देख सकते हैं। महाविद्यालय की दैनिक गतिविधियों से अवगत होते रहने के लिए छात्रों को नियमित रूप से सूचना पट्ट का अवलोकन करते रहना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो अनेक आवश्यक महाविद्यालयीय गतिविधियों की जानकारी से वंचित हो जायेंगे और ऐसी अवस्था में अनेक सुअवसरों का लाभ न उठा पाने के उत्तरदायी वे स्वयं होंगे।

विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों से सम्बन्धित सूचना भी समय-समय पर सूचना पट्ट पर विद्यार्थी महाविद्यालय में सम्बन्धित कार्यालय से सम्पर्क करें।
www.hcpgcollege.edu.in पर देख सकते हैं। इस विषय में जानकारी हेतु विद्यार्थी महाविद्यालय में सम्बन्धित कार्यालय से सम्पर्क करें।

छात्र कल्याण कोष

शुल्क मुक्ति एवं छात्र सहायता निधि हेतु छात्र-कल्याण कोष की व्यवस्था है।

प्रो. उजागिर सिंह स्मृति भूगोल पुरस्कार

बी.ए. अन्तिम वर्ष में भूगोल विषय के साथ सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को 26 जनवरी के पावन पर्व पर प्रो.उजागिर सिंह स्मृति भूगोल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। यह पुरस्कार प्रो. उजागिर सिंह, शू.पू. अध्यक्ष भूगोल विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के सम्मान में दिया जाता है। आपने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन से प्रख्यात भूगोलविद् एवं प्रो. इडसी स्टैप्प के निर्देशन में पी-एचडी० की उपाधि प्राप्त की थी।

डॉ० भगवान दास अग्रवाल तथा उनकी पत्नी श्रीमती कैलाश अग्रवाल द्वारा पुरस्कार

बी.एस-सी. भाग-दो (गणित) विषय एवं बी.कॉम. भाग-दो में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को 26 जनवरी के पावन पर्व पर पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है।

डॉ० ब्रजभूषण सिंह पुरस्कार

एम.एस-सी. प्राणि विज्ञान के अन्तिम वर्ष में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को 26 जनवरी के पावन पर्व पर पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है।

परीक्षा प्रकोष्ठ

अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण अंक-पत्रों के लिए परीक्षा प्रकोष्ठ की व्यवस्था की गयी है। परीक्षा सम्बन्धी किसी अन्य समस्या के लिए भी इस प्रकोष्ठ से सम्पर्क किया जा सकता है। डॉ० अतुल कुमार तिवारी (एसोसिएट प्रोफेसर- वाणिज्य) एवं डॉ० अनिल कुमार (एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष रसायन विज्ञान) प्रभारी नियुक्त हैं।

हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी

डॉ० रजनीश कुँवर-प्राचार्य

प्राध्यापक गण

कला संकाय		विज्ञान संकाय	
1- हिन्दी विभाग		1- रसायन विज्ञान विभाग	
1- डॉ० (श्रीमती) ऋष्मा सिंह	एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष	1- डॉ० अनिल कुमार	एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
2- डॉ० राम आशीष	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	2- डॉ०(श्रीमती) शुभा सिंह	एसोसिएट प्रोफेसर
3- रिक्त		3- डॉ० अशोक कुमार सिंह	एसोसिएट प्रोफेसर
4- रिक्त		4- डॉ० राकेश मणि मिश्र	एसोसिएट प्रोफेसर
2- अंग्रेजी विभाग		5- श्री शंकर राम	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
1- डॉ० सीमा सिंह	असिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष	6- रिक्त	
2- रिक्त	3-रिक्त	7- रिक्त	
3- मनोविज्ञान विभाग		8- रिक्त	
1- डॉ० उदयन मिश्र (अवकाश)	एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष	2- शैतिक विज्ञान विभाग	
2- रिक्त	एसोसिएट प्रोफेसर	1- डॉ० आनन्द कुमार द्विवेदी	एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
4- राजनीति विज्ञान विभाग		2- डॉ० दर्शन शर्मा	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
1- डॉ० पंकज कुमार सिंह	एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष	3- डॉ० राहुल रंजन	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
2- डॉ०(श्रीमती) अनुपम शाही	एसोसिएट प्रोफेसर	4- श्री श्री प्रकाश गुप्ता	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
5- भूगोल विभाग			
1- डॉ० शिवानन्द यादव	असिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष	3- गणित विभाग	
2- रिक्त		1- डॉ०(श्रीमती) संगीता श्रीवास्तव	एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
6- अर्थशास्त्र विभाग		2- श्री योगेन्द्र प्रसाद	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
1- डॉ० जगदीश सिंह	एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष		
2- रिक्त		4- सांख्यिकी विभाग	
7- संस्कृत विभाग		1- डॉ० प्रभाकर सिंह	एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
1- डॉ०(श्रीमती) अनीता ओझा	एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष	2- रिक्त	
8- प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग		3- रिक्त	
1- डॉ० विश्वनाथ वर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष	4- रिक्त	
2- डॉ० रामिनी श्रीवास्तव	एसोसिएट प्रोफेसर	5- वनस्पति विज्ञान विभाग	
9- आधुनिक इतिहास विभाग		1- डॉ० देवशीष सिंह	एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
1- डॉ०(श्रीमती) महिमा मिश्रा	एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष	2- डॉ० संजय श्रीवास्तव	एसोसिएट प्रोफेसर
2- रिक्त		3- श्री आलोक कुमार सिंह	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
10- शारीरिक शिक्षा		4- डॉ० धीरज कुमार सिंह	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
1- डॉ० विजय कुमार राय (अवकाश)	एसोसिएट प्रोफेसर	6- प्राणि विज्ञान विभाग	
2- डॉ० संजय कुमार सिंह	एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष	1- डॉ० विरेन्द्र कुमार निर्भल (अवकाश)	एसोसिएट प्रोफेसर
		2- डॉ०(श्रीमती) संगीता शुक्ला	असिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
		3- रिक्त	
		4- रिक्त	

प्राध्यापक गण

शिक्षा संकाय			विधि संकाय		
1—	डॉ० (श्रीमती) अनिता सिंह	एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष	1—	डॉ० विजय कुमार राय (अवकाश)	एसोसिएट प्रोफेसर
2—	डॉ० (श्रीमती) अनुराधा राय	एसोसिएट प्रोफेसर	2—	डॉ० सुबोध कुमार सिंह	एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
3—	डॉ० (श्रीमती) कनकलता विश्वकर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर	3—	डॉ० ओम शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर
4—	रिक्त		4—	डॉ० सत्येन्द्र कुमार सिंह	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
5—	रिक्त		5—	डॉ० धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
6—	रिक्त		6—	श्री रमेश कुमार	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
7—	रिक्त		7—	रिक्त	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
8—	रिक्त		8—	रिक्त	
9—	रिक्त		9—	रिक्त	
10—	रिक्त		10—	रिक्त	
11—	रिक्त 12- रिक्त		11—	रिक्त	
वाणिज्य संकाय			12—	रिक्त	
1—	डॉ० अनिल प्रताप सिंह (अवकाश)	एसोसिएट प्रोफेसर	13—	रिक्त	
2—	डॉ० अतुल कुमार तिवारी	एसोसिएट प्रोफेसर	14—	रिक्त	
3—	मेजर(डॉ०) प्रदीप कुमार पाण्डेय	एसोसिएट प्रोफेसर	15—	रिक्त	
4—	डॉ० अशोक कुमार सिंह	एसोसिएट प्रोफेसर			
5—	डॉ० बृजेश कुमार जायसवाल	एसोसिएट प्रोफेसर			
6—	डॉ० गणेन्द्र दास	एसोसिएट प्रोफेसर			
7—	रिक्त				
8—	रिक्त				
9—	रिक्त				
10—	रिक्त				
11—	रिक्त				
12—	रिक्त				

स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षक/शिक्षिकाएं

रसायन विज्ञान		भूगोल	
1—	डॉ० (श्रीमती) रंजना सिंह	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	1— डॉ० सदानन्द यादव असिस्टेन्ट प्रोफेसर
2—	डॉ० ब्रजेश पाठक	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	2— श्री प्रभोद कुमार तिवारी असिस्टेन्ट प्रोफेसर (अवकाश) 3— डॉ० मनोज कुमार पाण्डेय असिस्टेन्ट प्रोफेसर (अवकाश)
3—	डॉ०(श्रीमती) विजया	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	
वनस्पति विज्ञान		समाजशास्त्र	
1—	डॉ० अनुज प्रकाश	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	1— डॉ० पूर्णिमा कुमारी पाल असिस्टेन्ट प्रोफेसर
2—	रिक्त		2— रिक्त
3—	रिक्त		1— डॉ० सुशीप कुमार सिंह असिस्टेन्ट प्रोफेसर
प्राणि विज्ञान		2— डॉ० अखिलेश कुमार यादव	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
1—	डॉ० (श्रीमती) गीता रानी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	
2—	डॉ० (श्रीमती) प्रतिमा सिंह	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	1— रिक्त
3—	डॉ० राम लाल	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	2— रिक्त
भौतिक विज्ञान		3— रिक्त	
1—	डॉ० मनोज कुमार	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	4— रिक्त 5—रिक्त
2—	डॉ० सविं सिंह	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	
3—	डॉ० अच्छे लाल	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	1— श्री आतोक कुमार असिस्टेन्ट प्रोफेसर
राजनीतिशास्त्र विज्ञान		2— श्री अखिलेश कुमार असिस्टेन्ट प्रोफेसर	
1—	डॉ० उमेश कुमार राय	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	3— श्री आशीष मिश्रा असिस्टेन्ट प्रोफेसर
2—	रिक्त		4— श्री अंशुमान दीक्षित असिस्टेन्ट प्रोफेसर
मनोविज्ञान		5— श्री मनोज कुमार यादव	असिस्टेन्ट प्रोफेसर
1—	डॉ० आशुतोष द्विवेदी	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	
2—	डॉ० नीलम उपाध्याय	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	
3—	डॉ० राजेश कुमार झा (अवकाश)	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	
अंग्रेजी			
1—	डॉ० हृदयकान्त पाण्डेय	असिस्टेन्ट प्रोफेसर (अवकाश)	
2—	डॉ० नृपेन्द्र सिंह	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	

तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी (नियमित शिक्षणेत्र कर्मचारी)

कार्यालय (तृतीय श्रेणी)			चतुर्थ श्रेणी	
1— श्री अवधेश नारायण शर्मा	सहायक		1— श्री हैसिला प्रसाद	
2— श्री रमेश कुमार सिंह	सहायक		2— श्री प्रमोद कुमार तिवारी	
3— श्री लाल जी वर्मा	सहायक		3— श्री रामानन्द प्रसाद	
4— श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय	सहायक		4— श्री राजकुमार रावत	
5— श्रीमती अनामिका राय	सहायक		5— श्री संकला प्रसाद सिंह	
6— श्रीमती प्रतिभा सिंह	सहायक		6— श्री कमला प्रसाद	
7— श्री शिव प्रताप सिंह चन्देल	सहायक		7— श्री गुलाब चन्द	
पुस्तकालय			8— श्री मन्हेया यादव	
1— डॉ० विश्वनाथ वर्मा	प्रभारी पुस्तकालय		9— श्री विजय नारायण सिंह	
2— श्री रोहित मिश्रा	कैटलागर		10— श्री विनोद कुमार सिंह	
3— डॉ० शंकर शरण	बरिष्ठ सहायक		11— श्री राकेश कुमार सिंह	
4— श्री अखिलेश कुमार सिंह (प्रथम)	पुस्तकालय सहायक		12— श्री जय प्रकाश नारायण	
5— श्रीमती भीरा राय	पुस्तकालय सहायक		13— श्री सुशील कुमार	
6— श्री अखिलेश कुमार सिंह (द्वितीय)	पुस्तकालय सहायक		14— श्री नीरज कुमार	
7— श्रीमती संघा सिंह	पुस्तकालय सहायक		15— श्री महेन्द्र प्रसाद	
प्रयोगशाला (मनोविज्ञान)			16— श्री राम चन्द्र सिंह	
1— श्री अशोक कुमार सिंह	प्रयोगशाला सहायक		17— श्री संजय कुमार	
प्रयोगशाला (भौतिक विज्ञान)			18— श्री संतोष कुमार	
2— श्री मुरलीधर मिश्रि	प्रयोगशाला सहायक		19— श्री सुशील कुमार रावत	
			20— श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनकर	
			21— श्री विनोद कुमार गोड	
			22— श्री राम नरेश	
			23— श्री झैया लाल सोनकर	
			24— श्री सुबास प्रसाद	
			25— श्री मनोज कुमार	
			26— श्री राजेश कुमार सोनकर	
			27— श्री सुजीत कुमार सिंह (रसायन विज्ञान)	
			28— श्री विकास सिंह	

तृतीय श्रेणी (स्ववित्तपोषित शिक्षणेत्र कर्मचारी)

प्राचार्य कक्ष/ कार्यालय			प्रयोगशाला सहायक	
1— श्री सुजीत सिंह	सहायक		1— श्री रितेश कुमार सिंह	रसायन विज्ञान विभाग
कार्यालय/परीक्षा विभाग/पुस्तकालय			2— श्री अवनीश कुमार सिंह	प्राणि विज्ञान विभाग
1— श्री उदय नारायण पाण्डेय	सहायक		3— श्री गणेश कुमार यादव	मनोविज्ञान विभाग
2— श्री छरिनाथ यादव	सहायक		4— श्री वीरेन्द्र यादव	वनस्पति विज्ञान विभाग
3— श्रीमती किरन यादव	सहायक		5— श्री नन्द किशोर यादव	भौतिकी विज्ञान विभाग
4— श्री विजय विश्वकर्मा	सहायक		6— श्री जितेन्द्र कुमार यादव	भूगोल विभाग
5— श्री सत्येन्द्र कुमार	सहायक		स्ववित्तपोषित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	
6— श्री शशि शेखर मिश्रा	सहायक		1— श्री बेघन	चौकीदार
7— श्री संजय सिंह	सहायक		2— श्री राज बहादुर	बढ़ई मिश्री